

आदेश की क्रम सं0 और तारीख

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id :- dccourt.grd@gmail.com) अधिहरण अपील वाद सं0—11/2020

मो0 मनोवर अंसारी -बनाम- राज्य(DFO, East)

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित

2

3

26.11.2021

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह अपीलवाद अपीलार्थी मो० मनोवर अंसारी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 52(A) के तहत् वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अधिहरण वाद सं0-31/2019 में पारित आदेश, दिनांक 03.11.2020 के विरुद्ध दायर किया गया है।

वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है:- दिनांक 30.09.2019 को अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, खोरीमहुआ के नेतृत्व में थाना प्रभारी, तिसरी, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरक्षी एवं सहायक पुलिस बल द्वारा छापेमारी के दौरान पालमो रक्षित वन अन्तर्गत बैरगियातरी वनभूमि से कई लोग अभ्रख का अवैद्य रूप से उत्खनन करते हुए पाए गए। पुलिस बल को देखने के बाद जंगल-झाड़ी का फायदा उठाकर सभी भागने में सफल रहे, किन्तु उत्खनन वाले स्थल से जे.सी.बी. निबंधन सं0-JH-10AU-9457 तथा ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH-11V-9371, जिसपर ड्रील मशीन सेट किया हुआ था, के साथ-साथ भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ यथा-(1.)Power Gel-901 Explosives 25mmX125g-कुल 21 पीस, (2.)पीले रंग का 01 मीटर cordex तार, जिसपर पर 01 डेटोनेटर लगा हुआ था, (3.) 21 की संख्या में लाल रंग का 01-01 मीटर cordex तार, जिसपर पर 01-01 डेटोनेटर लगा हुआ था तथा (4.)इलेक्ट्रो डेटोनेटर बिना कैप का-क्ल 295 पीस व उत्खनित अभ्रख पाए गए। स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उक्त जे0सी0बी0 एवं ट्रैक्टर को विस्फोटक पदार्थों सहित विधिवत जप्त किया गया तथा पंजीकृत थाना काण्ड सं0-21/2019 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा 379/414 एवं Explosive Substances Act, 1908 की धारा 3/4/5, Mines and Minerals Act, 1957 की धारा 4(1)/21(1)/22 तथा भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 33 के तहत् प्राथिमकी दर्ज की गई एवं पुलीस अधीक्षक, गिरिडीह के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा उक्त से संबंधित अधिहरण वाद सं0-31/2019 संधारित की गई एवं सुनवाई के पश्चात् दिनांक 03.11.2020 को आदेश पारित कर भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 52(3) के तहत् उपरोक्त वाहनों जे0सी0बी0 निबंधन सं0-JH-10AU-9457 तथा ट्रैक्टर निवंधन सं0-JH-11V-9371 को राज्य सरकार के पक्ष में राजसात किया गया।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी मो0 मनोवर अंसारी ने इस न्यायालय में अपीलवाद दायर किया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क की स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई तथा सुनवाई की निर्धारित तिथियों में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।



वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा दिनांक 03.11.2020 को पारित आदेश में निम्न तथ्यों को प्रतिवेदित किया गया है :—

यह कि जे0सी0बी0 वाहन मालिक द्वारा दिया गया तर्क, कि निजी भूमि की खेत बनाने के बाद उक्त जे0सी0बी0 की साफ—सफाई उत्खनन स्थल के समीप के नदी में की जा रही थी, तार्किक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उक्त बरसाती नाला जिसपर ग्रामीणों द्वारा जानवरों को धोने एवं पानी पिलाने के लिए गड्ढ़ा खोद कर जल जमाव किया जाता है, वैसे छोटे स्थल में जे0सी0बी0 जैसी बड़ी वाहन को धोने की बात वाहन मालिक के द्वारा कहा जाना तर्कसंगत नहीं है। वस्तुतः जप्त दोनों वाहन पालमों रक्षित वन के बेरगियातरी में माईका / दिबरा के अवैद्य उत्खनन कार्य में प्रयुक्त थे, जहाँ व्यापक तौर पर विस्फोटक पदार्थों का उपयोग कर अवैद्य रूप से माईका / दिबरा का उत्खनन कर वन पदार्थों का उत्खनन एवं उनका परिवहन करना संज्ञेय, गैर जमानतीय एवं दण्डनीय अपराध है। अतः भारतीय वन अधिनियम(बिहार संशोधित), 1989 की धारा 52(3) के तहत् जप्त वाहनों जे0सी0बी0 निबंधन सं0-JH-10AU-9457 तथा ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH-11V-9371 को राज्य सरकार के पक्ष में राजसात किया जाता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी मो० मनोवर अंसारी जप्त वाहन जे०सी०बी० निबंधन सं0-JH-10AU-9457 के मालिक है. जबिक ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH-11V-9371 के मालिक कलीम मियां है एवं यह अपील सिर्फ जे0सी0बी0 को राजसात से मुक्त करने हेतू द्वारा दायर किया गया है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए कहा गया कि जप्त वाहन एक व्यावसायिक वाहन है, जिसका क्रय अपीलार्थी ने ऋण पर किया है। खुले आसमान में रखे जाने के कारण वाहन को काफी क्षति पहुँच रही है तथा उन्हें वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी व्यवसायिक वाहन को लंबे समय तक जप्त रखना राष्ट्रीय नुकसान की परिभाषा में रखा गया है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त जे0सी0बी0 को उत्खनन स्थल से जप्त नहीं किया गया है, बल्कि उसे उत्खनन स्थल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित नदी के किनारे तथा वनसीमा के बाहर वाहन की साफ-सफाई के क्रम में पकड़ा गया है, जिसकी पुष्टि तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक श्री बेले उरांव द्वारा भी गई है। जप्त जे0सी0बी0 को मो0 मुस्लीम मियां द्वारा अपने निजी भूमि में खेत बनाने हेतु किराये पर मँगवाया गया था तथा खेत बनाने के बाद साफ-सफाई के लिए वाहन को नदी में धोया जा रहा था, इसी दौरान पुलिस बल द्वारा उक्त वाहन को जप्त कर लिया गया। चूँकि जप्त वाहन जे०सी०बी०, निबंधन सं०-JII-10AU-9457 एक व्यवसायिक वाहन है। अतः उपरोक्त तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर उक्त वाहन को राजसात की कार्रवाई से मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह द्वारा निम्न न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत बताया गया। उन्होंने तर्क दिया कि जप्त जे०सी०बी० एवं ट्रैक्टर दोनों वाहनों को घटना रथल अर्थात् अवैद्य उत्खनन स्थल से ही जप्तकर थाना लाया गया था, जहाँ जे०सी०वी० एवं ड्रील मशीन सेट किया हुआ ट्रैक्टर के साथ—साथ भारी मात्रा में विरफोटक पदार्थ भी जप्त किया गया था। अपीलार्थी द्वारा वाहन धुलाई हेतु वताई जा रही नदी के संबंध में वनक्षेत्र पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त नदी छोटा वरसाती नाला है तथा गर्मी के दिनों में यह सूख जाता है।

ग्रामीणों द्वारा जानवरों को धोने व पानी पिलाने के लिए गड्ढ़ा खोदकर उपयोग किया जाता है। साथ ही उक्त नाला वनसीमा के अंदर स्थित है तथा उस स्थल के आसपास किसी भी प्रकार की कृषि योग्य भूमि नहीं है और न ही कहीं खेत बनाने का साक्ष्य ही मिला है। स्पष्टतः अवैद्य रूप से उत्खनन करने वाले व्यक्तियों के मिलीभगत से अपीलार्थी / वाहन मालिक द्वारा प्रचुर मात्रा में विस्फोटक का उपयोग कर जे०सी०बी० के माध्यम से वन पदार्थों का अवैद्य उत्खनन किया जा रहा था। अतः जप्त दोनों वाहनों क्रमशः जे०सी०बी०, निबंधन सं0-JH-10AU-9457 तथा ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH-11V-9371 को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-: विचारण व निर्णय :-

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं विज्ञ सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्क को सुनने तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य परिलक्षित होते हैं :—

- 1. वन क्षेत्र पदाधिकारी, गावां वन प्रक्षेत्र द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जे0सी0बी0 वाहन मालिक द्वारा दिया गया यह तर्क, कि निजी भूमि की खेत बनाने के बाद उक्त जे0सी0बी0 की साफ—सफाई समीप के नदी में की जा रही थी, तार्किक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उक्त बरसाती नाला जिसपर ग्रामीणों द्वारा जानवरों को धोने एवं पानी पिलाने के लिए गड्ढ़ा खोद कर जल जमाव किया जाता है, साथ ही जो गर्मियों में प्रायः सूख जाया करता है, वैसे छोटे स्थल में मार्च महीने में जे0सी0बी0 जैसी बड़ी वाहन को धोने की बात वाहन मालिक द्वारा कहा जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। साथ ही जाँच के क्रम में उस स्थल के आसपास किसी भी प्रकार की कृषि योग्य भूमि नहीं पायी गई और न ही कहीं खेत बनाने का साक्ष्य ही मिला है। स्पष्टतः न्यायालय को दिक्ष्रमित करने के उद्देश्य से वाहन मालिक द्वारा बाद में फर्जी चालान तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।
 - 2. वनसीमा अंतर्गत उत्खनन स्थल से वाहनों के अलावा उत्खनन में प्रयोग होने वाले प्रचुर मात्रा में विस्फोटक पदार्थों यथा—Power Gel-901 Explosives, डेटोनेटर लगे हुए बहुतायत cordex तार, इलेक्ट्रो डेटोनेटर तथा ड्रील मशीन आदि का पाया जाना अपने आप में पर्याप्त साक्ष्य है कि जप्त दोनों वाहन पालमों रक्षित वन के बेरिगयातरी में अभ्रक के अवैद्य उत्खनन कार्य में शामिल थे, जहाँ वन अपराध में शामिल व्यक्तियों के मिलीभगत से अपीलार्थी / वाहन मालिक द्वारा व्यापक तौर पर विस्फोटक पदार्थों एवं ड्रील मशीन का उपयोग कर जे०सी०बी० के माध्यम से अवैद्य रूप से माईका / दिबरा का उत्खनन किया जा रहा था।
 - 3. अपीलार्थी / वाहन मालिक द्वारा प्रस्तुत तर्क के साक्ष्य में कोई ठोस सबूत / वैद्य प्रमाण न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जप्त वाहन जे0सी0बी0, निबंधन सं0-JH-10AU-9457 घटित काण्ड में संलिप्त नहीं था और न ही वह स्वयं संलिप्त थे।
 - 4. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संo-CPF-10152/52R-5804, दिनांक 27.12. 1952 के तहत् पालमो सुरक्षित वन अंतर्गत बेरिगयातरी अधिसूचित एवं सीमांकित वन है एवं अधिसूचित वन भूमि से अवैद्य रूप से वन पदार्थ का उत्खनन, संग्रहण व निष्कासन निषिद्ध ही नहीं विल्क भारतीय वन अधिनियम (बिहार संशोधित), 1989 की धारा 33(i)(c),41&42 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा संज्ञेय व दण्डनीय वन अपराध है।
 - 5. यह कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है।

—ः आदेश :–

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आलोक में विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह के मंतव्य से संतुष्ट होते हुए अपीलार्थी मो० मनोवर अंसारी द्वारा दायर अपील को खारीज किया जाता है एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा पारित आदेश, दिनांक 03.11.2020 को यथावत रखा जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

संबंधित पक्ष को आदेश से अवगत कराते हुए LCR निम्न न्यायालय भेजें। लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी

-सह-

उपायुक्त, गिरिडीह।

जिला दण्डाधिकारी

–सह–

उपायुक्त, गिरिडीह।